

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर (म०प्र०)

मिल्क पार्लर निर्माण कार्यहेतु
तृतीय ई-निविदा प्रपत्र
(अल्पकालीन निविदा)

वर्ष 2022-2023



ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर

रेसीडेंसी रोड, गोला का मंदिर, ग्वालियर-474005

फोन नं० कार्यालय (0751) 2368107 / 2365523

E-mail : gwaliordairy@gmail.com

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर (म०प्र०)

मिल्क पार्लर निर्माण कार्य हेतु तृतीय ई-निविदा (अल्पकालीन) प्रपत्र आमंत्रण सूचना:

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर शहर में पार्लर का निर्माण कर स्थापना करने हेतु तृतीय ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा का विस्तृत विवरण म०प्र० स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की वेबसाइट www.sanchidairy.com पर भी उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र www.mptenders.gov.in से निविदा शुल्क रुपये 500/- (रुपये पाँच सौ) जमा कर क्रय किया जा सकता है। ईएमडी राशि रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दस हजार) ।

1.	निविदा ऑनलाईन क्रय करने की दिनांक	22-04-2022 दोपहर 12.00 बजे से
2.	निविदा ऑनलाईन जमा करने की अंतिम दिनांक	29-04-2022 दोपहर 3.00 बजे तक
3.	तकनीकी बिड खोलने की दिनांक एवं समय	02.05.2022 शाम 4.00 बजे
4.	ईएमडी राशि रुपये में	रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार) केवल ऑनलाईन
5.	निविदा खोलने का स्थान	ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, ग्वालियर (म०प्र०) 474005

किसी भी निविदा को स्वीकृत अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

गोला का मंदिर, ग्वालियर

साँची मिल्क पार्लर निर्माण कार्य हेतु ई-निविदा प्रपत्र

1.	ई-निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय ।	ई-निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 29/04/2022 दोपहर 3.00 बजे तक
2.	ई-निविदा के साथ जमा की जाने वाली (ई.एम.डी.) राशि रुपये में	रुपये 10000/- (रुपये दस हजार मात्र) केवल ऑनलाईन
3.	मिल्क पार्लर निर्माण कार्य हेतु तकनीकी अर्हताएँ का प्रारूप ।	परिशिष्ट क्रमांक - 01
4.	मिल्क पार्लर निर्माण कार्य की सामान्य शर्तें	परिशिष्ट क्रमांक - 02
5.	भाव पत्र/दरें प्रस्तुत करने का प्रारूप (केवल अवलोकन हेतु)	परिशिष्ट क्रमांक - 03
6.	निविदाकार की जानकारी	परिशिष्ट क्रमांक - 04
7.	शपथ-पत्र	परिशिष्ट क्रमांक 05 एवं 06

ई-निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखने योग्य तथ्य :

- निविदाकार को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह केवल ऑनलाईन निविदा है। अतः निविदाकार, ई-निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गये मार्ग संबंधित समस्त वांछित दस्तावेजों यथा ई.एम.डी. राशि की रसीद भी ऑनलाईन अपलोड करें।
- निविदा स्वीकृत होने की दशा में सफल निविदाकार को निविदा में मांगे गये समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में ई-निविदा निरस्त कर दी जावेगी जिसकी जवाबदारी निविदाकार की स्वयं की होगी।

टिप्पणी :-

ई-निविदा प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी परिवर्तन नहीं होगा यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनेंशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित तारीख को अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर खोली जावेगी। तकनीकी प्रपत्र आनलाईन जमा करने के साथ-साथ समस्त दस्तावेजों की छाया प्रति सील बंद लिफाफे में निविदा खोलने के पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी। Price Bid केवल आनलाईन ही प्रस्तुत करना होगी।

1. निविदा कार्य अवधि:-

निविदाएँ निर्धारित कार्य अवधि वर्ष 2022-2023 (एक वर्ष) के लिए आमंत्रित है।

2. न्यूनतम अर्हताएँ एवं अनिवार्य दस्तावेज विवरण

स.क्र.	विवरण	विवरण
3	टेक्निकल बिड में सफल होने के लिए निविदाकार को निम्न अर्हताएँ अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगी।	अर्हता की पूर्ति हेतु साक्ष्य के रूप में निम्न सभी अनिवार्य दस्तावेज टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होंगे, अन्यथा टेक्निकल बिड निरस्त की जायेगी। टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करने के लिये इन दस्तावेजों को ऑनलाईन अपलोड कराने होंगे।
4	अनिवार्य अर्हताएँ—	अनिवार्य दस्तावेज
4.1	अपना परिचय व विवरण उदघोषित करना होगा। स्वामित्व/फर्म/भागीदारी/कंपनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो।	निविदाकार का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण हेतु इस दस्तावेज के प्रपत्र क्र.04 को पूर्णतः भर कर अपलोड कर प्रस्तुत करें। फर्म/कंपनी की ओर से निविदा में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का अधिकार पत्र/मुखतारनामा की मूल प्रति जो नोटरी द्वारा सत्यापित व प्रमाणित हो। स्वामी/प्रोपार्टर द्वारा स्वयं निविदा भरने की स्थिति में आवश्यक नहीं है।
4.2	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपार्टरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत)/भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।	निविदाकार स्वामित्व (प्रोपार्टरशिप) की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत)/भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी के अंतर्गत पंजीयन प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.3	तकनीकी बिड के साथ निर्धारित ई.एम.डी. राशि ऑनलाईन जमा होना चाहिये।	तकनीकी बिड के साथ वांछित ई.एम.डी. राशि जमा हों।
4.4	आयकर विभाग से आयकर के स्थायी खाताधारक हो।	आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) एवं उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति।
4.5	वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-2021 की आयकर विवरणी आयकर विभाग में जमा हो।	आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-2021 की आयकर विवरणी की स्व-प्रमाणित छायाप्रति।
4.6	ई-निविदा फार्म का शुल्क जमा किया हो।	ई-निविदा फार्म क्रय किये जाने/वेबसाइट से डाउनलोड किये जाने की स्थिति में निविदा फार्म के शुल्क ऑनलाईन जमा करना होगी।

5. ई-निविदा दस्तावेज का ऑनलाईन क्रय—

वेबसाइट www.sanchidairy.com से डाउनलोड किये जा सकते हैं। ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य की राशि रु.500/- (रु. पाँच सौ रुपये मात्र) ऑनलाईन जमा कर www.mpetenders.gov.in से क्रय कर जमा करना होगा।

ई-निविदा फार्म पर हस्ताक्षर :

स्वामित्व/फर्म/कंपनी के अधिकृत निविदाकार प्राधिकारी ही निविदा फार्म पर हस्ताक्षर करें, वे हैसियत का वैध प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण के अभाव में तकनीकी बिड निरस्त कर दी जायेगी।

कं.	निविदाकार का स्वरूप	निविदा कौन भर सकेगा (निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति स्वयं के हस्ताक्षर से ही ई-निविदा प्रस्तुत कर सकेंगे)
1 2 3	एकल स्वामित्व भागीदारी फर्म कंपनी	स्वामी स्वयं या उसका मुख्तारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति सभी भागीदार या उनका मुख्तारनामा धारी अधिकृत व्यक्ति कंपनी द्वारा अधिकृत व्यक्ति (कंपनी के अर्न्तनियमों की प्रति भी प्रस्तुत करना होगी)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

महोदय,

मिल्क पार्लर निर्माण कार्य हेतु दिनांक 22/04/2022 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिए गए हैं। यदि मेरी निविदा नियमानुसार स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः मैं एतद् द्वारा ऑनलाईन जमा की गई ईएमडी राशि :- 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) ऑनलाईन की रसीद क्रमांकदिनांकसंलग्न कर रहा हूँ।

तकनीकी अर्हताएं

क्र.	आवश्यक अर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किया जाने वाले दस्तावेज
1.	ठेकेदार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाणपत्र
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड
3.	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था/फर्म के संचालक मण्डल/मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र
4.	निविदाकर्ता का पेन कार्ड नंबर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5.	जीएसटी नं. की प्रति संलग्न करें।		जीएसटी नं. की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।
6.	ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई ई. एम.डी. राशि की रसीद लगाना अनिवार्य है।		ऑनलाईन पेमेंट द्वारा जमा की गई राशि रुपये 10000/- (रुपये दस हजार रुपये) की रसीद संलग्न करें।
7.	वित्तीय वर्ष, वर्ष 2017-18 - 2018-19 एवं 2019-20 का आयकर जमा विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष, वर्ष 2017-18 2018-19 एवं 2019-20 की आयकर विवरणी की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
8.	गत पाँचवर्ष का कार्य अनुभव		कार्यदेश/कार्य पूर्ण होने का सर्टीफिकेट एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

- नोट :- (1) उक्त समस्त दस्तावेजों की स्वच्छ एवं स्व-प्रमाणित छायाप्रतियाँ ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है, अन्य किसी माध्यम से दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- (2) उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर _____
नाम _____
पता _____
टेलीफोन नं. _____
मोबाईल नं _____

साँची मिल्क पार्लर निर्माण कार्य हेतुई-निविदा की आवश्यक शर्तें

01. निविदाकार को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र में ही निविदा प्रस्तुत करनी होगी। केवल न्यूनतम दरें ही मान्य होंगी।
02. निविदाकार को निविदा के साथ रू.10000/- (रुपये दस हजार रुपये) केवल ऑनलाईन के माध्यम से ई.एम.डी. के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी जमा न करने की स्थिति में निविदाकार की ई-निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
03. मध्यप्रदेश राज्य के एम.एस.एम.ई. उद्योगों को ई.एम.डी. और निविदा शुल्क के भुगतान से छूट दी जायेगी। एम.एस.एम.ई. प्रमाण-पत्र आपूर्ति/सामग्री/कार्यों की प्रासांगिक श्रेणी का होना चाहिए। एम.एस.एम.ई. प्रमाण-पत्र ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।
04. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश निर्धारित समय में कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर निविदाकार की सुरक्षा निधि राजसात कर आवंटित कार्य निरस्त कर दिया जाएगा।
05. निविदा स्वीकृत होने के उपरांत सफल निविदाकार को सुरक्षा निधि राशि निविदा में स्वीकृत दर का **10%** प्रति मॉड्यूलर पार्लर डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से "ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित" के नाम से पेयवल – ग्वालियर जमा कराना होगी। सुरक्षा निधि राशि पार्लर स्थापना दिनांक से 12 माह हेतु दुग्ध संघ में जमा रहेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निर्माण की गुणवत्ता/मेन्युफेक्चरिंग डिफेक्ट अथवा निर्धारित अवधि में पार्लर निर्माण की दशा में यदि दुग्ध संघ द्वारा जुर्माना लगाया जाता है तो यह जुर्माना सुरक्षा निधि से वसूला जा सकेगा। सुरक्षा निधि राशि जमा न होने की दशा में निविदा निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी। जिसकी संपूर्ण जवाबदेही निविदाकार की होगी।
06. निविदा प्रपत्र के साथ निविदाकार द्वारा दी गयी जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो सुरक्षा निधि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा साथ ही आवेदक का ऐसा आवेदन निरस्त समझा जाएगा।
07. ई-निविदा स्वीकृति की स्थिति में सफल निविदाकार को दुग्ध संघ के साथ रू.1000/- के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा।
08. निविदाकार को निविदा प्रपत्र में दरें अंग्रेजी के अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट वर्णित करनी होगी। दरों में किसी प्रकार की ओवर राईटिंग/काटपीट न करें। यदि अंको एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत दरों को मान्य किया जाएगा।
09. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
10. पार्लर निर्माण हेतु दिये जाने वाले कार्य आदेश में पार्लर निर्माण की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है किन्तु पार्लर निर्माण हेतु दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

11. निर्मित पार्लर का निरीक्षण एवं सत्यापन संघ के अधिकृत अधिकारी/समिति द्वारा किया जावेगा। सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर ही भुगतान देयक प्रस्तुत करने के 30 दिवस में किया जावेगा। सत्यापन करने वाली समिति द्वारा पार्लर निर्माण के समय पेंट/प्राईमर लगाने के पूर्व ही निरीक्षण किया जा सकता है। निर्मित किये जाने वाले पार्लर में निर्धारित गुणवत्ता से निम्न गुणवत्ता की सामग्री पाये जाने पर संबंधित पार्लर रिजेक्ट कर दिये जावेंगे।
12. निविदा में दी गई दर समस्त सामग्री, श्रम तथा समस्त प्रचलित करों सहित रहेंगी। कार्य के दौरान श्रम नियम एवं अन्य वैधानिक दायित्वों के निर्वहन की जिम्मेदारी संबंधित निविदाकार की होगी तथा पार्लर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित स्थान पर ही सही हालत में पहुँचाकर देने होंगे। इस हेतु किसी भी प्रकार का परिवहन व्यय पृथक से नहीं दिया जावेगा।
13. निविदा के नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत निविदा अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं होने तथा शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में कार्य आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त करने एवं सुरक्षा निधि राशि तथा क्षतिपूर्ति वसूलने का अधिकार ग्वालियरदुग्ध संघ का होगा।
14. सफल निविदाकार को कार्य आदेश प्राप्त होने के उपरांत दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। विलंब होने की स्थिति में कार्य की राशि पर निम्नानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा जिसकी राशि निविदाकार के देयकों से अथवा सुरक्षा निधि से राशि में से वसूल की जावेगी।

(अ)	15 दिवस तक	−1%
(ब)	16 से 30 दिवस तक	−2%
(स)	30 दिवस से अधिक पर	− 5%
15. निविदा स्वीकृति उपरांत सफल निविदाकार की दरें अत्यधिक परिलक्षित होने की दशा में नेगोशिएशन करने हेतु समिति की अनुशंसाओं पर निर्णय लेने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियरदुग्ध संघ को होगा।
16. निविदा स्वीकृति उपरांत सफल निविदाकार को निविदा अवधि में केवल स्वीकृत दरों पर ही देयक भुगतान किया जायेगा। केन्द्र सरकार द्वारा पार्लर निर्माण से संबंधित सामग्रियों पर दरें बढ़ाने की दशा में –निविदाकार को पृथक से बढी हुई दरों का भुगतान नहीं किया जावेगा। जो कि निविदाकार पर बंधनकारी होगा।
17. पार्लर निर्माण हेतु पार्लर की डिजाईन प्रथक से प्रपत्र के साथ अपलोड की गई है। अधिक जानकारी के लिए दुग्ध संघ संपर्क कर सकते हैं। निर्धारित मानक स्तरों अनुसार ही पार्लर तैयार किया जाना होगा।
18. सभी औपचारिकताएँ निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर कार्य आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी।
19. कोई भी ऐसी संस्था या व्यक्ति निविदा प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होंगे जिनको पूर्व में किसी भी शासकीय/अशासकीय संस्था से ब्लेकलिस्टेड किया गया हो। निविदा में सफल होने के पश्चात् सफल निविदाकार को इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

20. ग्वालियर दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके परिवार के सदस्य इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे। निविदा में सफल होने के पश्चात् सफल निविदाकार को इसका शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वे दुग्ध संघ के किसी पदाधिकारी/अधिकारी/कर्मचारी के परिवहन के सदस्य नहीं हैं।
21. निविदाकार को विधिसम्मत उत्तराधिकारी घोषित करना होगा।
22. निविदाकार को यह ध्यान में रखना आवश्यक होगा कि यह केवल ऑनलाईन निविदा है। अतः निविदाकार, ई-निविदा प्रपत्र का विस्तृत रूप से अध्ययन करने के उपरांत ही ई-निविदा प्रपत्र भरें एवं निविदा में मांगे गये संबंधित समस्त वांछित दस्तावेजों तथा ई.एम.डी. राशि की रसीद ऑनलाईन प्रस्तुत करें। जमा न करने की स्थिति में निविदा प्रपत्र अमान्य किये जावेंगे।
23. निविदा स्वीकृत होने की दशा में सफल निविदाकार को निविदा में मांगे गये समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी जिसकी जवाबदेही निविदाकार की स्वयं की होगी।
24. मिल्क पार्लर निर्माण कार्य हेतु निविदा एक वर्ष हेतु प्रभावशील रहेगी जिसे आपसी सहमति के आधार पर आगामी 06 माह की अवधि हेतु समान दर एवं शर्तों पर बढ़ाया जा सकेगा।
25. निविदाकार मिल्क पार्लर निर्माण कार्य हेतु पार्लर का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो कि निविदा प्रपत्र के परिशिष्ट 07 में वर्णित है, को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ लें एवं तदनु रूप ही पार्लर निर्माण करना सुनिश्चित करें।
26. निविदाकार के पास न्यूनतम 05 वर्ष का एसीपी/फेब्रीकेशन कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।

मेरे द्वारा मिल्क पार्लर निर्माण कार्य हेतु निविदा एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिंदु क्रमांक 01 से 27 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ एवं मेरी ईएमडी राशि राजसात करने का प्रबंध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

वित्तीय बिडप्रारूप

क्र.	विवरण	दर प्रति पार्लर (समस्त कर एवं व्यय सहित)					
	सांची स्मार्ट पार्लर दर	Silver Parlour		Gold Parlour		Platinam Parlour	
		अंको में	शब्दों में	अंको में	शब्दों में	अंको में	शब्दों में
1.	ग्वालियर						
2.	शिवपुरी						
3.	दतिया						
3.	मुरैना						
4.	भिण्ड						
5.	शयोपुर						
6.	आगरा						
7.	झाँसी						
नोट:- दरें जी.एस.टी.(%)सहित प्रस्तुत की गई है।							

नोट:-निविदाकार को पार्लर निर्माण दर प्रस्तुत करते समय यह ध्यान रखना होगा कि अंग्रेजी के अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट वर्णित करनी होगी। दरों में किसी प्रकार की ओवर राईटिंग/काट-पीट न करें। यदि अंको एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता पाई जाती है तो शब्दों में प्रस्तुत दरों को मान्य किया जायेगा।

आवेदक/निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का परिचय

1. आवेदक का नाम
2. पिता का नाम
3. स्थाई/वर्तमान पता
- (दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करें)
4. ई-मेल आई डी (अनिवार्य रूप से अंकित करें)
5. दूरभाष/मोबाईल नं.
6. आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है।
-
7. वर्तमान व्यवसाय (वर्तमान कार्य का विवरण अंकित करें)
-
8. (अ) पेन नम्बर
- (ब) GSTIN नम्बर
9. ऑनलाईन भरी गई ई.एम.डी. राशि की रसीद
- (समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें।)

मेरे द्वारा मिल्क पार्लर निर्माण कार्य संबंधी इस फार्म के साथ संलग्न समस्त शर्तें पढ़ और समझ चुका/चुकी हूं और मान्य करता/करती हूं। इस हेतु मेरे द्वारा शर्तें हस्ताक्षरित कर फार्म के साथ संलग्न की है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

शपथ-पत्र रू. (रू. 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं.....

निवासी.....

.....ग्वालियर दुग्ध संघ में

.....कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मेरा ग्वालियर दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष/
संचालक/दुग्ध सहकारी समिति के सचिव या पदाधिकारी एवं दुग्ध संघ के किसी भी
अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी
भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य
रहूंगा/रहूंगी तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम-----

पता-----

शपथ-पत्र रू. (रू. 100/- के नोटराईज्ड स्टॉम्प पेपर पर)

मैं.....

निवासी.....

ग्वालियर दुग्ध संघ मेंकार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मुझे शासकीय/अशासकीय संस्था से किसी भी कार्य में अनुबंध की नियम शर्तों का उल्लंघन करने से कार्य निरस्त अथवा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा उसे मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा/करूंगी।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम-----

पता-----

पार्लर निर्माण कार्य हेतु टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का विस्तृत विवरण

पार्लर निर्माण कार्य हेतु टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पृथक से पीडीएफ फाईल अपलोड की गई है।

साँचीमिल्क पार्लर निर्माण कार्य हेतु अनुबंध प्रपत्र

यह अनुबंध आज दिनांक..... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, ग्वालियर, जिसे आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा। एवं मेसर्स द्वारा पार्टनर श्रीसे बतौर मिल्क पार्लर निर्माणकर्ता के रूप में दुग्ध संघ द्वारा दिनांक..... से दिनांक तक अवधि वास्ते अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया गया है। इन्हें आगे बतौर द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा। इस अनुबंध के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के रूप में कार्य संपादित करेंगे।

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत निविदाकार को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा। यदि द्वितीय पक्ष इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे प्रथम पक्ष को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।
2. द्वितीय पक्षद्वारा संघ में जमा की गई सुरक्षा निधि, निविदा अवधि पूर्ण होने पर तथा संघ को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद सुरक्षा निधि वापस करने की कार्यवाही की जाएगी।
3. द्वितीय पक्षको मिल्क पार्लर निर्माण कार्य समय पर पूरा करना अनिवार्य होगा अन्यथा देयकों का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
4. द्वितीय पक्षको स्वयं के व्यय पर आवंटित स्थल पर मिल्क पार्लर तैयार कर दुग्ध संघ को सुपुर्द करना अनिवार्य होगा।
5. केन्द्र सरकार द्वारा निविदा अवधि के दौरान मिल्क पार्लर निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले सामग्रियों की दरों में वृद्धि करने की दशा द्वितीय पक्ष को केवल निविदा में स्वीकृत दरों पर ही भुगतान किया जावेगा, जो कि द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।
6. द्वितीय पक्ष की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में संघ उसके मान्य उत्तराधिकारी को उस स्थिति में नियुक्त कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है। उत्तराधिकारी का नाम अनुबंध पत्र के निष्पादन के समय नामिनेशन प्रदान किया जाना आवश्यक है।
7. द्वितीय पक्ष को निविदा अवधि के दौरान कार्य किसी अन्य को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं होगा। भविष्य में कभी भी किसी भी समय ऐसा करते पाये जाने पर द्वितीय पक्ष की निविदा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर, जमा सुरक्षा निधि राशि राजसात कर ब्लैक लिस्ट कर दिया जावेगा। जिसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी।
8. पार्लर निर्माण होने के उपरांत दुग्ध संघ की अधिकारी पार्लर का सत्यापन करेंगे। सत्यापन उपरांत निर्धारित मानकों पर सही पाये जाने की दशा में द्वितीय पक्ष के देयकों का भुगतान किया जावेगा।
9. दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
10. यह कि मिल्क पार्लर निर्माण हेतु मेसर्सनिर्माणकर्ता के रूप मेंप्रतिनग कार्य करेंगे।

11. यह अनुबंध एक वर्ष के लिए दिनांक _____ से _____ तक प्रभावशील रहेगा।
12. किसी भी प्रकरण में सामग्री/सेवा प्रदायक एवं दुग्ध संघ के मध्य विवाद की स्थिति निर्मित होने पर प्रबंध संचालक एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण ना होने की स्थिति मे आर्बीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
13. इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र ग्वालियर शहर का न्यायालय में रहेगा। निविदा प्रपत्र में वर्णित नियम व शर्तें अनुबंध का भाग माने जावेंगे।
14. द्वितीय पक्ष को कार्य आदेश प्राप्त होने के उपरांत दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित समय अवधि में कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। विलंब होने की स्थिति में कार्य की राशि पर निम्नानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा जिसकी राशि द्वितीय पक्ष के देयकों से अथवा सुरक्षा निधि राशि से वसूल की जावेगी।

- (अ) 15 दिवस तक - 1%
- (ब) 16 से 30 दिवस तक - 2%
- (स) 30 दिवस से अधिक पर - 5%

मैं पिता/पति/पत्नी..... निविदाकार अपना उत्तराधिकारी
(नॉमिनी)श्री/श्रीमती..... को घोषित करता/ करती हूँ।

निविदाकार (द्वितीय पक्ष) के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

.....

मुख्य कार्यपालन अधिकारी (प्रथम पक्ष)
ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

1.गवाह के हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

नाम एवं पता:-.....

प्रभारी (इंजीनियरिंग/विपणन)

ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

2.गवाह के हस्ताक्षर

नाम

पता.....

.....